नैक (NAAC)द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ,

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

1997 संसद द्वारा पारित अधिनियम) , क्रमांक पित केंद्रीयके अंतर्गत स्था 3

विश्वविद्यालय (*A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997*)

जनसंपर्क विभाग -Ph./Fax: 07152-.मो 2526519960562305 इ :मेल-

भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर और महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के संयुक्त तत्त्वाधान में 'प्रमाणसमुच्चय एवं न्यायबिंदु' विषय एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिनांक 14/12/2016/ से 23/12/2016 के मध्य परिषद् के अकादमिक केंद्र लखनऊ में आयोजित हुयी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक, शोधार्थी तथा छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग ग्रहण किया।

इस राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ बौद्ध भिक्षुगणों द्वारा भगवान् बुद्ध के वंदना से किया गया। इस अवसर पर विख्यात दार्शनिक प्रो. राजेंद्र प्रसाद (लखनऊ), विश्वविश्रुत बौद्ध चिन्तक प्रो. सुनीति कुमार पाठक (विश्वभारती, शान्तिनिकेतन), प्रो. विजय जैन (अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष, जैन, बौद्ध एवं सर्वदर्शन विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ), प्रो. बिनोद कुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, शिलोंग विश्वविद्यालय), भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् के लखनऊ केंद्र की निदेशिका डॉ. पूजा व्यास तथा कार्यशाला के संयोजक डॉ. कृष्ण चंद पांडेय (सहायक आचार्य, बौद्ध अध्ययन केंद्र, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा) सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं विद्वतजन उपस्थित रहे।

कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करते हुए डॉ. कृष्ण चंद पांडेय ने इसके विषय तथा उद्देश्यों का उपस्थापन किया। उन्होंने विषय का प्रवर्त्तन करते हुए कहा कि ज्ञान की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान की सत्ता का खंडन ज्ञान की कोटि में ही पड़ता है। दूसरी ओर ज्ञान मनुष्य के व्यव्हार का साधन भी होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ज्ञान के स्वरुप का अन्वेषण एवं उसकी तात्त्विक विवेचना करें। इस प्रकार के ज्ञान विशेष की विवेचना भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से मिलती है जिसकी तर्क आधारित एवं शास्त्रीय विवेचना

बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। इस तरह के ज्ञान की विवेचना को भारतीय शब्दावली में ज्ञानशास्त्र अथवा प्रमाणमीमांसा कहा जाता है। बौद्ध प्रमाण मीमांसा का विधिवत सूत्रपात पांचवी सदी में आचार्य दिङ्नाग के प्रादुर्भाव से होता है। आचार्य दिङ्नाग ने बौद्ध आगमिक परम्परा में चले आते हुए चिंतन का सार तत्त्व लेते हुए तथा बौद्धेतर संप्रदाय के ज्ञान और न्याय सम्बन्धी मतों के आलोक में कई नवीन उद्भावनाएँ प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रमाण सम्बन्धी कई एक निबंधों को संगृहीत कर अपनी प्रौढ़तम कृति 'प्रमाणसमुच्चय' में ज्ञान के स्वरुप, उसके प्रकार, प्रत्यक्ष इत्यादि विषयों की सर्वथा नवीन परिभाषाएं एवं स्थापनाएं प्रस्तुत की।

विषय की उपस्थापना क्रम में डॉ. पाण्डेय ने 'प्रमाणसमुच्चय एवं न्यायबिंदु' ग्रन्थ के विशेष आलोक में बौद्ध प्रमाणमीमांसा के स्वरुप तथा कार्यशाला के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया। उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. बिनोद कुमार अग्रवाल ने 'प्रमाणसमुच्चय एवं न्यायबिंदु' ग्रन्थ द्वय की चर्चा करते हुए कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला।

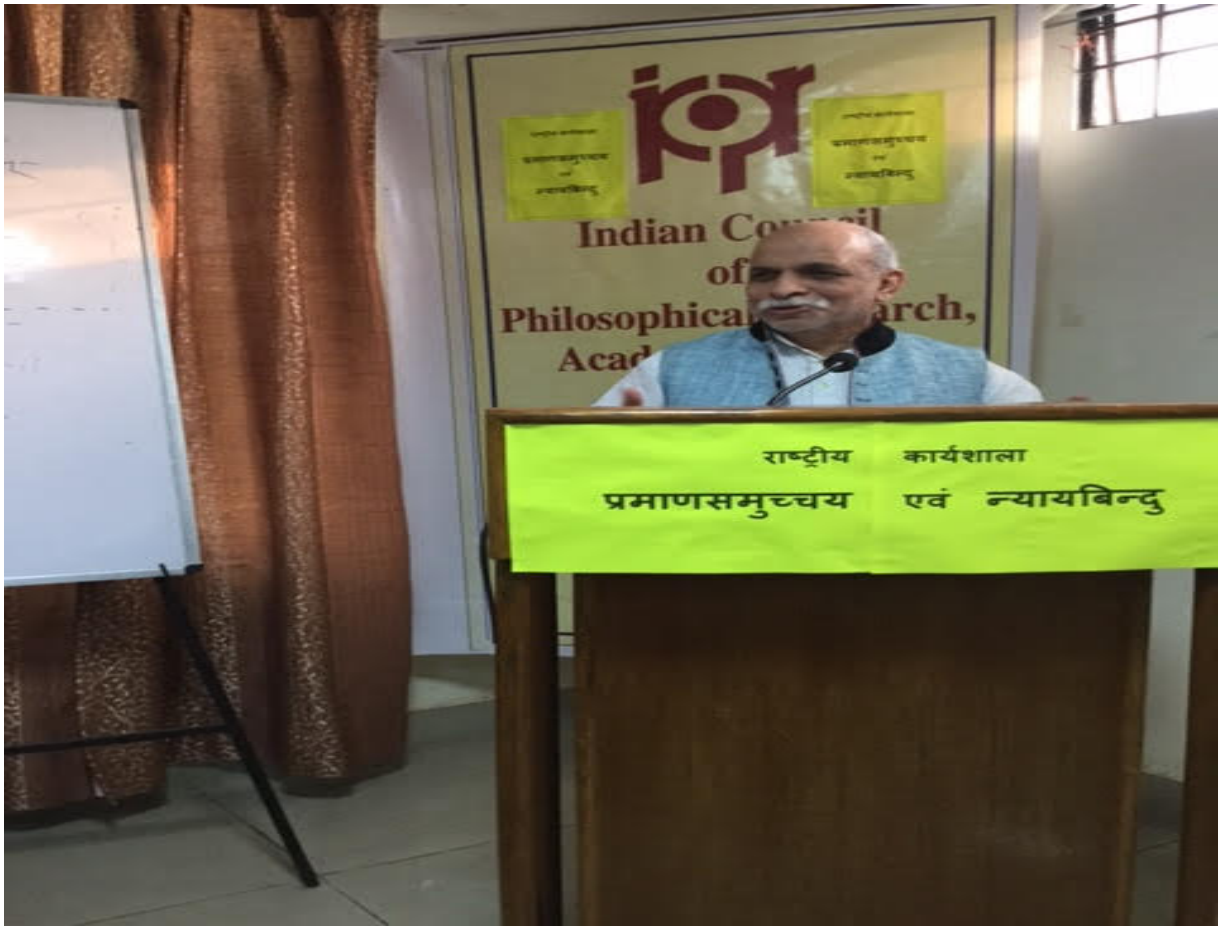

सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान प्रो. विजय जैन ने बौद्ध प्रमाणशास्त्र एवं न्याय को भारतीय मनीषा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उसके बीज सूत्रों का व्याख्यान किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. सुनीति कुमार पाठक ने 'प्रमाणसमुच्चय और न्यायबिंदु' ग्रन्थ की विषय-वस्तु की विवेचना करते हुए उसका मूल भारतीय चिंता से सम्बन्ध स्थापित किया। प्रो. पाठक ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध प्रमाणशास्त्र की व्याख्या के लिए बौद्ध निकायों और प्रस्थानों का अध्ययन और आलोचना आवश्यक है। उन्होंने बौद्ध परम्परा का सांख्य दर्शन से सम्बन्ध स्थापित करते हुए यह बताया

कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन के सम्यक् अनुशीलन के लिए मूल भारतीय दृष्टि का अभिग्रहण आवश्यक है।

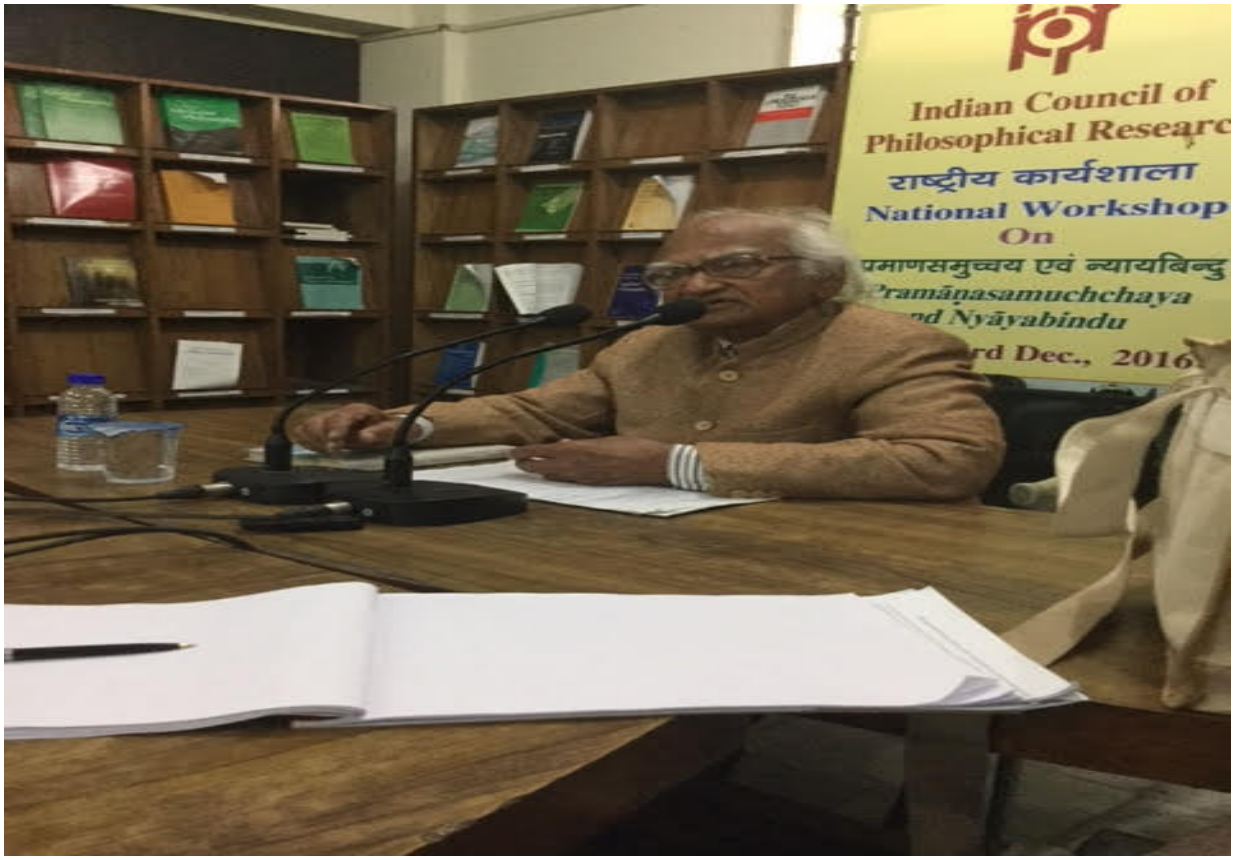

इसके साथ ही प्रख्यात दार्शनिक प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य में बौद्ध प्रमाणमीमांसा के संरचना पर प्रकश डालते हुए उसके कई अनुद्घाटित पक्षों की ओर संकेत किया। उद्घाटन सत्र में डॉ. पूजा व्यास, डॉ. अप्रमेय मिश्र इत्यादि ने भी अपने विचार प्रकट किये।

भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् के अकादमिक केंद्र में आयोजित इस कार्यशाला को दस दिन एवं बीस सत्रों में सम्पन्न किया गया। इस कार्यशाला में

बौद्ध प्रमाणशास्त्र के दो आकर ग्रंथों- 'प्रमाणसमुच्चय एवं न्यायाबिंदु' का संस्कृत एवं तिब्बती भाषा में संरक्षित उनकी टीकाओं की सहायता से अध्यापन किया गया। साथ ही बौद्ध न्याय एवं प्रमाणमीमांसा के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा सम्यग् ज्ञान का स्वरुप, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, शब्दप्रमाण, स्वलक्षण, सामान्यलक्षण, कल्पना, व्याप्ति-सम्बन्ध, बौद्ध शब्दार्थमीमांसा, अपोह आदि विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित किये गए। कार्यशाला में जिन विद्वानों ने व्याख्यान दिए उनमें प्रो. सुनीति कुमार पाठक, प्रो. राजेंद्र प्रसाद, प्रो. प्रदीप प्रभाकर गोखले (एमेरिटस प्रोफेसर, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ), प्रो. अभिमन्यु सिंह (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), प्रो. सच्चिदानन्द मिश्र (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), प्रो. अरबिंद कुमार झा (वर्धा), प्रो. अम्बिका दत्त शर्मा (सागर), प्रो. बिनोद कुमार अग्रवाल (शिलोंग), प्रो. राका जैन (राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ) और डॉ. कृष्ण चंद पाण्डेय आदि प्रमुख हैं।

कार्यशाला के अंत में देश के विभिन्न स्थानों से आमंत्रित विद्वानों ने अपने अनुभवों को साझा किया तथा प्रमाणशास्त्र पर आयोजित कार्यशाला के महत्व का रेखांकन किया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागी विषय से संबंधित प्रस्तुतियाँ दिए। केंद्र की निदेशिका डॉ. पूजा व्यास ने कार्यशाला को अत्यंत सफल बताया ।